

1185722 पवन

तारीख रजू

मोहनसिंह वगीरा

बनाम

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
2022	<p>वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वकील वादी श्री कृपाशंकर शंकर शर्मा ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जयें सम्मन रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादी दिनांक 12.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	
4/7/22	<p>उपखण्ड कोर्ट केन 470/P.O. वाइन 6222-2222 पत्रावली दिनांक 18/7/22 को पेश हो।</p> <p>वदुलाम उपस्थित। उर्वरवादी केन 1 सेप की ओर से श्री रामश्रीलाल शर्मा ए0 ने वकालत नाम प्रप अकाउंट उलटुन किया 200 मि0 किभा गभा 4x19ली वाहेरे शेष की लकी रिमांक 518122 को पेश हो।</p>	
518122	<p>उपखण्ड कोर्ट केन 470/P.O. वाइन 6222-2222 पत्रावली दिनांक 17/10/22 को पेश हो।</p>	
17/10/22	<p>उपखण्ड कोर्ट केन 470/P.O. वाइन 6222-2222 पत्रावली दिनांक 18/7/22 को पालना में यत्र श्री वास्ते शेष की लकी दिनांक 27/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	

18/12/23

कमीलवाही उपस्थित नहीं। कमील व उभे काही को
 का - 2 आकार डिगाई गई कोई उपस्थित नहीं
 आया। ऊपर दाया वाही कमील की ऊपर पीली
 ऊपर हाजी की ऊपर लेज पर खोजि चिना जाया है
 पत्रावल में मल शुका होकर 12/12/23 को काही का
 लकलील जिला प्रधिकारी के माध्यम से सुगम

(S) SPB

उपस्थित अधिकारी
 (कमील लवरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/72/2022

बनवान

1. उर्मिला पत्नी हरदयाल जाति ब्राह्मण निवासी भोजपुरा
2. इन्द्रा पत्नी मुंशी जाति ब्राह्मण निवासी भोजपुरा
तहसील कटूमर जिला अलवर

-----वादीयागण

बनाम

1. मंगतू पुत्र ईशर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भोजपुरा
तहसील कटूमर जिला अलवर
2. तहसीलदार कटूमर तहसील कटूमर

-----प्रतिवादीगण

दावाइस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवावी

उपस्थित :-श्री भवानी शंकर शर्मा एडवोकेट-वकील वादीयागण

पैरोकार सरकार- प्रतिवादीगण का ओर से

निर्णय

दिनांक 04.01.2024

वादीयागण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 571 रकवा 1.08 हे. 572 रकवा 0.51 हे. 574 रकवा 0.29 हे. किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना व खसरा नम्बर 371 रकवा 0.73 हे. 386 रकवा 0.51 हे. किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम भोजपुरा तहसील कटूमर में स्थित है। खसरा नम्बर 371, 386 किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा अर्थात 43.33 एयर वाके ग्राम भोजपुरा जो वादीयागण की व आराजी खसरा नम्बर 571, 572, 574 किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा अर्थात 47 एयर वाके ग्राम सुण्डियाना प्रतिवादी सं० 1 की कब्जे का त खातेदारी की आराजी थे। वादीयागण एवं प्रतिवादी सं० 1 ने अपनी का त की सुविधा हेतु अपनी आराजीयात का आपस में तबादला कर लिया तथा वादीयागण की आराजी खसरा नम्बर 371, 386 किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा अर्थात 43.33 हे. भूमि वाके ग्राम भोजपुरा प्रतिवादी सं० 1 ने ले ली व प्रतिवादी सं० 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 571, 572, 574 किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा अर्थात 47 एयर भूमि वाके ग्राम सुण्डियाना को वादीयागण ने ले लिया। इस प्रकार तबादला की गयी भूमि पर वादीयागण एवं प्रतिवादी सं० 1 काबिजा हो गये तथा प्रतिवादी सं० 2 के तबादला स्वीकृति को

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

उप पंजीयक कटूमर के यहां विनिमय विलेख दिनांक 15.06.2020 को पंजीबद्ध करा लिया तथा बढी हुई 3.67 एयर भूमि को अलग से पंजीयन फीस व स्टाम्प ड्यूटी जमा करा दी। जब वादियागण ने रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल कराने हेतु प्रतिवादी सं० 2 को दिया तो प्रतिवादी सं० 2 ने रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल करने से मना कर दिया। प्रतिवादी सं० 2 ने वादियागण को यह भी धमकी दी कि यदि रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल नहीं हो रहा है तो इनको निरस्त कराओ तथा अपनी अपनी जमीनों पर वापिस काबिजा हो जाओ जबकि वादियागण एवं प्रतिवादी सं० 1 ने अपनी अपनी बदली हुई जमीनों में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाऊ बना लिया है। जबकि इस इस प्रकार से पक्षकारान के पथ्य भूमि का तबादला करने की स्वीकृति प्रतिवादी सं० 2 ने ही दी थी। रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल नहीं होने से वादियागण के सामने काफी परेशानी हो रही है। वादियागण ने दावा इस्तकरारहक पेश कर दावा मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तारिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ने हाजिर अदालत होकर वादियागण के दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये इकवाल जवाब पेश कर वादियागण मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने की सहमति दी है।

वादियागण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 विनिमय विलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम सुण्डियाना प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रदर्श 3 व पी 4 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादियागण ने अपने दावा के समर्थन में मौ. एक साक्ष्य में गवाह स्वयं वादिया उर्मिला PW1 के वयान पंजीबद्ध कराये है जो संलग्न पत्रावली है।

वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादियागण ने अंगनी वहस में कथन किया कि वादियागण व प्रतिवादी सं० 1 ने अपनी सहमति से अपनी अपनी आराजी का प्रतिवादी सं० 2 से तबादला नामा स्वीकृत कराकर विनिमय विलेख उप पंजीयक कटूमर के यहां विधिनुसार पंजीबद्ध कराया था। जो विनिमय विलेख रजिस्टर्ड है। मुताविक तबादला वादियागण व प्रतिवादी सं० 1 आपस में सहमति से बदली गयी आराजीयात का काबिजा रहकर का त ब. रहे है। वादियागण ने उक्त रजिस्टर्ड विनिमय विलेख का इन्तकाल कराने प्रतिवादी सं० 1 को दिया तो उसने मना कर दिया। प्रतिवादी सं० 1 ने वादियागण के दावा के तथ्यों को स्वीकार कर इकवाल जवाब पेश किया है। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों में वादिया उर्मिला के वयानों व प्रतिवादी सं० 1 के इकवाल जवाब से वादियागण पूरी तरह साबित है। इस वजह से वा. वादियागण मुताविक अनुतोश डिक्री किये जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों अस्तुत रजिस्टर रिकार्ड रजिस्टर्ड विनिमय विलेख वादिया उर्मिला के वयान तथा प्रतिवादी सं० 1 के तबादले जवाब का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों से

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अनवर)

सह सावित है कि वादियागण व प्रतिवादी सं० १ ने अपनी अपनी आराजी का तबावला करने हेतु प्रतिवादी सं० २ व ३ तबावला करने की स्वीकृति प्राप्त कर ही विनियम विलेख उप फंजीयक कटूमर से तस्वीक कराया है तथा बड़े हुये रक्का की फंजीयन फीस व स्टान्प ड्यूटी भी सरकार को अदा की गयी है। विनियम विलेख रजिस्टर्ड दस्तावेज है प्रतिवादी सं० १ के ईकवालिमा जवान से मुताबिक तबावला विवादित आराजी पर फकाकारान का कब्जा सावित है। रजिस्टर्ड विनियम विलेख के आधार पर व मुताबिक अनुतीश वाव वादियागण डिप्री किये जाने में प्रतिवादी सं० १ ने अपनी सहमति दी है। अतः वाका वादियागण सावित होने से डिप्री योग्य माना जाता है।

आदेश

अतः वाका वादियागण इस्तकारहक व हुकमइतनाई ववागी सावित होने से डिप्री किये जाकर आराजी खराश नम्बर 571 रकवा 1.08 है, 572 रकवा 0.51 है, 573 रकवा 0.29 है, कित्ता 3 रकवा 1.88 है का 1/4 हिस्सा वाके माम सुण्डियात तहशील कटूमर ज वादियागण को खातेदार काइतकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं० १ का नाम कलमजान करने के आदेश दिने जाते है। तहशीलदार कटूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड से उक्तानुसार संशोधित इन्दाज दर्ज करे। तदनुसार पत्रा डिप्री जारी हो। पत्रावली फीसल सुमार होकर नम्बर से जम होकर वाव तकगोल वाइलज वफतद हो।

सुनील कुमार अग्रवाल
उपखण्ड काइतकार कटूमर (अलवर)

आत दिनांक 4.1.2024 को सह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार अग्रवाल
उपखण्ड काइतकार कटूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगानियां आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/72/2022

वउनवान

1. उर्मिला पत्नी हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
2. इन्द्रा पत्नी मुंशी जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
तहसील कटूमर जिला अलवर।

-----डिक्रीदारान

बनाम


1. मंगतू पुत्र ईशर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भोजपुरा
तहसील कटूमर जिला अलवर।
2. तहसीलदार कटूमर तहसील कटूमर।

-----मदयूनान

दावा इस्तकरारहक व हुकमइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादियागण इस्तकरारहक व हुकमइन्तनाई दवामी सावित होने से डिक्री किया जाकरआराजी खसरा नम्बर 571 रकवा 1.08 हे., 572 रकवा 0.51 हे., 574 रकवा 0.29 हे. कित्ता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कटूमर का वादियागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कटूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 4.1.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।


सुनील कुमार झिंगानियां
उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

लय उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर




1/15/23

तारीख रजु.....

बनाम


रचना देवी

प्रकाश वीरा


हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>वकिल वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वादी वकिल श्री कृपादयाल राणा एड० ने उपस्थिति होकर पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जयें सम्मन रजि० डाक से तलब होकर। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 26.06.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर) </p> <p style="text-align: center;"> कृपादय करीकेन एप०/प० सादर 26/6/23 पत्रावली दिनांक 14/8/23 को पेश हो। </p>	
26/8/23	<p>वकील वादी उपस्थित। साथिक आदेश दिनांक 14/6/23 की पालना में पत्र की पालना में पत्र दिनांक 2/10/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर) </p>	
14/8/23	<p>वकील वादी उपस्थित। साथिक आदेश दिनांक 12/6/23 की पालना में पत्र की वास्ते दिनांक 21/10/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर) </p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
-------------	------------------------------------

११/१२/२४ ~~कमील वाडी~~ उपस्थित
 साबिक आवेश दिनांक.....
 की पालना में पत्रा नों का संख्या.....
 दिनांक.....११/१२/२४..... को पत्र हो:


 उपस्थित अधिकारी
 क. क. कुमार

०१/१२/२४ कमील वाडी उपस्थित नहीं आये कमील
 व उनके वाडी को वार - २ आवाज दिनांक
 ०१/१२/२४ को उपस्थित नहीं आया। अतः दफ्त
 वाडी कमील के अफस पौरी - अफस एजरी
 में दफ्तरी स्टेप पर स्थगित किया जाता है।
 फत्रावली में प्रमाण शुद्ध है अतः १२/१२/२४ को कमील
 के वाडी कमील जिला प्रजिक्ट वेब माफ्य
 की शुद्ध है


 उपस्थित अधिकारी
 क. क. कुमार (अलवर)

ईल नंबर

अधिवक्ता

द्वारालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/126/2023

तारीख रजु.....

रचना देवी

बनाम

प्रकाश वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

12.06.2023

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः उमयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खंसरा नम्बर 2078, वाके ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।चूकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।

अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 26.06.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

26/6/23

मुवाय बरोकेन उप-0/P.0
राजु-012/2023
पत्रावली दिनांक 14/8/23
को पेश हो।

14/8/23

वकील प्रार्थी उपस्थित।
साथिक अदिल दिनांक 12/6/23
की पालना में पत्रावली दिनांक 01/08/23
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
-------------	------------------------------------	----------------------------

उपस्थित।
साविक आदेश दिनांक 12/6/23
की पालना में पत्र नी वासे 21/1/23 को पश हो।

उपस्थित।
साविक आदेश दिनांक 12/6/23
की पालना में पत्र नी वासे 21/1/23 को पश हो।

उपस्थित।
साविक आदेश दिनांक 09/2/24
की पालना में पत्र नी वासे 09/2/24 को पश हो।

उपस्थित।
साविक आदेश दिनांक 09/2/24
की पालना में पत्र नी वासे 09/2/24 को पश हो।

1/2/24

करीब 300-400 आये करीब
व उनमें करीब 2 आवाज
डिलाई गई जोकि उपस्थित नहीं आये
करीब व उनमें करीब के करीब प्रो.डी.
अपने हाथों में करीब-40 करीब
खासिज किया जाता है परीक्षा के
शुभार होकर करीब के करीब करीब
पत्र के साथ संलग्न रहे। हुक्म।

उपस्थित।
साविक आदेश दिनांक 09/2/24
की पालना में पत्र नी वासे 09/2/24 को पश हो।

ईल नंबर

अधिवक्ता

यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

3/11/2022

तारीख रजू.....

हरिचंद्र बनाम नरिन्द्र कौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/5/22	<p>वकील प्रवीण उपाध्याय) 30 न गह 30 फर 09/22 (एल प्रवीण) की ओर से श्री राम नीलाल शर्मा एत आने केसा बिगा। कार्यालय रिपोर्ट की गई। 30 फर की पीठिका से अपापीठिका जॉर्न नौवीम हलक डेकर फावला कहे रकबी डिमांड 30/5/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>SBR</i></p>	
30/5/22	<p style="text-align: center;"><u>वकील प्रवीण</u> उपाध्याय</p> <p>साथिक आदेश दिनांक..... को पालना में पत्र भी जास्ते <u>तलवी</u> दिनांक <u>16/6/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">स्वपक्ष अधिकारी कठूमर अलवर</p>	
16/6/22	<p>को पेश हुए। आज नार एस. ने काय वापस कर रखा है। P.O. साहब 30/5/22 को पेश हो 25/8/22 को पेश हो 5 के कारिसनो की ओर से R.B. शर्मा ने 901/0100121 को बिगा</p> <p style="text-align: center;"><i>SBR</i></p>	
25/8/2022	<p style="text-align: center;"><u>वकील प्रवीण</u> उपाध्याय</p> <p>साथिक आदेश दिनांक <u>16/6/22</u> को पालना में पत्र भी जास्ते <u>शेष प्रतिवादी गण तलवी की</u> दिनांक <u>30/9/2022</u> को पेश हो। <u>समप चालते है।</u></p> <p style="text-align: center;">स्वपक्ष अधिकारी कठूमर अलवर</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
-------------	------------------------------------	----------------------------

12/1/24

~~12/1/24~~
 16/1/24
 के भाए के 17/1/24

16/1/24

कुलाप उपस्थित। पत्नी जमीने 310 फुट
 0929192 फुट का टुकड़े में जो बाद अहक-
 मती - अहम हजरी में खोजी हो गया है।
 उसे पुनः गणना कर लिये जाने का निर्देश
 दिया गया। एवं जमानत अहम जमीने अधिकारी
 द्वारा अपने 30 फुट के मसजिद में RRT 2006
 के पार्श्व 2 के पत्र सी.एन. 11082 एवं RRT 2012 पत्र
 के पत्र सी.एन. 440 फुट लिये गये थे 2100 मि.
 लिये जाये निम्न विरोध करते हुए अहम जमीने
 जहाय उल्लूक किया गया निम्न लिखा
 गया है जमीने द्वारा - पर फुट का
 काट खोजी होने का कोई समुचित काज
 नहीं बताया गया है - दोनो अधिकारी जमीने
 अहम खुशी गड्डी अहम पर मनन किया गया
 पत्रावली का अवलोकन किया गया फुट
 जमीने का फुट - पर 0319 - नकिल वाले
 के काट लोटे पत्रावली के कोई समुचित
 काज नहीं बताया गया जिससे जमीने
 31 फुट को खोजी गये हैं - असमल रहे हैं
 जमीने का फुट - पर 0319 नकिल वाले
 के काज - जमीने का खोजी किया गया
 है पत्रावली में मूल सुधार के लिए - पर 0319
 हो नकिलवाली किया गये - पर 0319

17/1/24
 अहम जमीने


21/193/19

तारीख रजू.....

बनाम

रामस्वरुप वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2019	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ज अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी /तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न. 276, 526, 662, 711, 703, 760, 690, वाके ग्राम कटहडा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में किसी प्रकार की रुकावट/मजाहमत पैदा न करे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 13.12.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 13.12.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p>13/19</p> <p>वकील सायल</p> <p>साविक आदेश दिनांक 21.10.19</p> <p>को पालना में पत्रावली वास्ते तलबी</p> <p>दिनांक 28/2/20 को तलबी जारी करे।</p> <p>20.2.20</p> <p>वकील सायल</p> <p>साविक आदेश दिनांक 21/10/19</p> <p>को पालना में पत्रावली वास्ते तलबी</p> <p>दिनांक 28/2/20</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>



अधिकारी

घायालय उपखण्ड

कटूमर जिला अलवर

संख्या नंबर

2/62/2021

तारीख रजु.....

अधिकारी का

गोविन्द सहाय वगैरा

बनाम

रामोतार वगैरा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही पय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए


28.05.2021

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तारीख में वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 1015, 1015/1609, 1162, 1163, 1164, 1164/1612, 1167, 1170, 1170/1611, 1172, 1173, 1174, वाके ग्राम बसेठ तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 10.08.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जाये। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 10.08.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

343
29/3/22



उपखण्ड अधिकारी
कटूमर अलवर

10/8/22

मुद्राव बंदीकेन 10/8/22
14/8/22 को पेश हो।

12/12

पत्रावली 12/12/22

केस कार्ट में पेश हुई।


वहीं होने के कारण प्रकरण का निपटारा नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 07/4/22 को न्यायालय हाजरा में पेश हो

खुल हुआ	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------	-----------------------------------	--

28/5/23 मुलायम संरीफन 450/P.O.
 दिनांक 28/5/23
 पालना की दिनांक 17/10/23
 को पेश हो।

(Signature)

17/10/23 मुलायम संरीफन 450/P.O.
 दिनांक 17/10/23
 पालना की दिनांक 12/12/23
 को पेश हो।

(Signature)

12/12/23 उपस्थित /
 सांखिक आदेश दिनांक 7/11/22
 की पालना में पत्रा नी वास्ते 9577
 दिनांक 15/12/23 को पेश हो

उपस्थित अधिकारी
 कतमर (अलवर)

15/12/23 उपस्थित /
 सांखिक आदेश दिनांक 7/11/22
 की पालना में पत्रा नी वास्ते 9577
 दिनांक 12/12/23 को पेश हो

उपस्थित अधिकारी
 कतमर (अलवर)

18/12/23 उपस्थित /
 सांखिक आदेश दिनांक
 की पालना में पत्रा नी वास्ते 9577
 दिनांक 21/12/23 को पेश हो

उपस्थित अधिकारी
 कतमर (अलवर)

21/12/23 उद्देश्य से उक्त आदेश को अपने आदेश-पत्र में उक्त
 को पेश करने की कोशिश नहीं की गई है उद्देश्य से उक्त आदेश को
 फा 212/2023 को उक्त आदेश-पत्र में उक्त आदेश को पेश किया है
 है उक्त आदेश-पत्र में उक्त आदेश को पेश करने के लिए उक्त आदेश-पत्र में
 उक्त आदेश को पेश किया गया है उक्त आदेश-पत्र में उक्त आदेश को पेश
 किया गया है उक्त आदेश-पत्र में उक्त आदेश को पेश किया गया है
 उक्त आदेश-पत्र में उक्त आदेश को पेश किया गया है

Hand Press
(Signature)

उपस्थित अधिकारी
 कतमर (अलवर)

मालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

पं. नं.
सं. नं.

2/11/22

तारीख रजु.....

राम शर्मा बनाम मोहर सिंह वगैरे

सं. नं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/22	<p>वकील डा. श्री उपस्थित। आज यह अर्जना-पत्र 21-11-22 को डा. श्री के वकील ने न्याय मंडल के साथ भेजा है। कानून के विषय में अर्ज 18/11/22 को जज के सामने के अहकाम के अंतर्गत जो नोटिस 18/11/22 के अंतर्गत पत्रावली वाले अहकाम दिनांक 05/11/22 को भेजा है।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
01/11/22	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपस्थित</p> <p>सामयिक आदेश दिनांक.....</p> <p>जो पालना में पत्रावली वाले.....</p> <p>दिनांक 29/11/22 को भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	
15/11/22	<p>पुनाव पत्रावली 18/11/22 को पत्रावली दिनांक 15/11/22 को भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	
13/11/22	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपस्थित</p> <p>सामयिक आदेश दिनांक 18-11-22</p> <p>जो पालना में पत्रावली वाले.....</p> <p>दिनांक 29/11/22 को भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	
29-11-22	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपस्थित</p> <p>सामयिक आदेश दिनांक 18-11-22</p> <p>जो पालना में पत्रावली वाले.....</p> <p>दिनांक 18/11/22 को भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

16/1/23

जुवाय चॅरीकेन एच/P.O.
 हाद्व 18/4/23
 त्याचची दिनांक 20/3/23 का मय हो।
 कतूमर (अलवर)

20/3/23

जुवाय चॅरीकेन एच/P.O.
 हाद्व 20/3/23
 त्याचची दिनांक 20/3/23 का मय हो।
 कतूमर (अलवर)

8/5/23

जुवाय चॅरीकेन एच/P.O.
 हाद्व 8/5/23
 त्याचची दिनांक 14/9/23
 जो मय हो।
 कतूमर (अलवर)

14/9/23

जुवाय चॅरीकेन एच/P.O.
 हाद्व 14/9/23
 त्याचची दिनांक 28/10/23
 जो मय हो।
 कतूमर (अलवर)

26/10/23

जुवाय चॅरीकेन एच/P.O.
 हाद्व 26/10/23
 त्याचची दिनांक 21/1/24
 जो मय हो।
 कतूमर (अलवर)

21/1/24

जुवाय चॅरीकेन एच/P.O.
 हाद्व 21/1/24
 त्याचची दिनांक 21/1/24
 जो मय हो।
 कतूमर (अलवर)